अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–268/भू0सु0 दिनांक–02.11.2020 से अभिलेख प्राप्त है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया है कि मौजा–चीनाढाव, थाना नं0–436 के गैरमजरूआ खाता सं0–71 के अन्दर खेसरा सं0–246 कुल खतियानी रकवा–14–08–06 धूर, किस्म–परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में अंकित है। इसी खेसरा के अन्दर अंश रकवा 3.00 (तीन) एकड़ भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बन्दोबस्ती केश सं0–361/1977–78 से प्रहलाद साह सैनिक पिता–प्रयाग साह, साकिन–चीनाढाब के साथ अनुमण्डल स्तर से बंदोबस्त किया गया है। विदित हो कि राजस्व विभागीय पत्रांक ए0जी0एल0–1–64–1551 आर0 दिनांक–23.02.1964 एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144 दिनांक–21.12.2017 के कंडिका 3 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार सैनिक के साथ भूमि बन्दोबस्ती की शक्ति जिला के समाहर्त्ता को प्रदत है। स्थलीय जांच में पाया कि बन्दोवस्तदार द्वारा उक्त बन्दोबस्त भूमि को अभी तक जोत आबाद/जोत–कोड़ नही किया गया है। फोटो कॉपी संलग्न। संथाल परगरना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा–33 में वर्णित है बंदोबस्ती की तिथि से पॉच वर्ष के अन्दर बंदोबस्तदार द्वारा बंदोबस्त भूमि का जोत–कोड़/दखल–कब्जा किया जाना अनिवार्य है। अतः विभागीय पत्र के आलोक में संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा–33 का अनुपालन नही होने के कारण आवेदक के साथ की गई उक्त बंदोबस्ती रद्द् करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–33 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नही रहने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020–1704/रा0 दिनांक–15.07.2020 के आलोक में मौजा– चीनाढाव, थाना सं0–436 के गैरमजरूआ खाता सं0–71 के अंदर खेसरा सं0–246 का अंश रकवा 3.00 (तीन) एकड़ किस्म–परतीकदीम भूमि की प्रहलाद साह पिता–प्रयाग साह, साकिन–चीनाढाव के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द् करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–33 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नही रहने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020–1704/रा0 दिनांक– 15.07.2020 के आलोक में मौजा– चीनाढाव, थाना सं0–436 के गैरमजरूआ खाता सं0–71 के अंदर खेसरा सं0–246 का अंश रकवा 3.00 (तीन) एकड़ किस्म–परतीकदीम भूमि की प्रहलाद साह, पिता–प्रयाग साह, साकिन–चीनाढाव के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द् किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा को दे।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।